न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(a) के अन्तर्गत
अभिलेख संख्या–20/2024–25

—: आदेश :—

अनुसूची 14–फारम संख्या–560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
24/12/24	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) रामेश्वर मांझी पिता–स्व0 अयोध्या मांझी उर्फ अयोध्या नाथ मांझी, जाति–संथाल, ग्राम–रानीपोखर, टोला–मधुडीह, थाना–हरला, जिला–बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा–रानीपोखर, थाना नं0–20, खाता नं0–113, प्लॉट नं0–2511, रकवा–08 डी0 भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 395/भू0सु0, दिनांक 24.08.2024 के द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 2362 दिनांक 06.12.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :– 1. बिक्री किये जाने वाले भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे खतियान भीखा मांझी के नाम से दर्ज है। 2. भूमि खतियान से प्राप्त है, खतियानी रैयत से विक्रेता का संबंध प्रपितामह है। 3. पंजी II में रैयत से विक्रेता का संबंध प्रपितामह है। 4. बिक्रेता–ग्राम–रानीपोखर टोला–मधुडीह, थाना–हरला, जिला–बोकारो एवं क्रेता–ग्राम–बास्तेजी, थाना–हरला, जिला–बोकारो का मूल निवासी है। 5. विक्रेता एवं क्रेता (ST के मामले में) एक ही थाना क्षेत्र के हैं एवं बिक्री की जानेवाली भूमि उसी थाना क्षेत्र में है। 6. लागु नहीं है। 7. विक्रेता एवं क्रेता दोनों जाति के संथाल है। 8. बिक्री की जानेवाली भूमि विवाद रहित है। 9. बिक्री की जानेवाली भूमि सैरात/भूदान/गैरमजरूआ आम व खास/कब्रिस्थान/सरना/मसना/धार्मिक–स्थल/ अधिग्रहण इत्यादि से बाहर है। 10. भूमि बिक्री के पश्चात् विक्रेता के पास 2 एकड़ 20 डी0 जमीन शेष बचता है। 11. बिक्री हेतु आवेदित प्लॉटों में पंजी II के अनुसार 05 एकड़ 40 डी0 भूमि है। 12. भूमि बिक्री के उपरान्त विक्रेता भूमिहीन नहीं होगा। 13. विक्रेता द्वारा बिक्री की जानेवाली भूमि खतियान से प्राप्त है। 14. बिक्री की जानेवाली भूमि का जमाबंदी संख्या 190/2 है जमाबंदी भीखा मांझी वगैरह के नाम से दर्ज है। लगान रसीद 2024–25 तक निर्गत है। (ऑनलाईन जमाबंदी के भाग सं0–02, पृष्ठ सं0–190) में है। 15. विक्रेता का वंशावली अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित है। 16. स्थल पर विक्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है । 17. बिक्री की जानेवाली भूमि का किस्म टांड़ है । 18. आवेदक को **मौजा–रानीपोखर, थाना नं0–20, खाता नं0–113, प्लॉट नं0–2511, रकवा–08 डी0** भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई । 19. प्रतिवेदन के साथ आम सूचना तामिला प्रतिवेदन संलग्न है।	

अनुसूची 14—फारम संख्या—560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0 JHLRCO/2022/693253 दिनांक—20.11.2022 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0 JHRC/2024/01371 दिनांक 12.04.2024 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(I)(b) के तहत आवेदक (विक्रेता) रामेश्वर मांझी पिता—स्व0 अयोध्या मांझी उर्फ अयोध्या नाथ मांझी, जाति—संथाल, ग्राम—रानीपोखर, टोला—मधुडीह, थाना—हरला, जिला—बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा—रानीपोखर, थाना नं0—20, खाता नं0—113, प्लॉट नं0—2511, रकवा—08 डी0 भूमि (क्रेता) राजेन्द्र टुडू पिता—चित्तरंजन टुडू, जाति—संथाल, ग्राम—वास्तेजी, थाना—हरला, जिला—बोकारो को बिक्री करने की अनुमति ..... दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित, 21/12/24 भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास। 21/12/24 भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।	C.C. Issued 26/12/24

Digitally signed by PRABHASH KUMAR DUTTA
Date: 2025.01.15 16:15:40 +05:30
Location: 192.168.1.42